न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ.अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –203/2023
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/245

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
जगराम पुत्र मगनीराज जाति माली निवासी ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर राज.		तहसीलदार, जायल

उपस्थितिः–

1. **अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री श्रवण बिडियासर।**
2. **रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।**

निर्णय

दिनांक :– 13.02.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार,जायल द्वारा मुकदमा नम्बर 63/2023 अधीन धारा 91राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.11.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रोल ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जायल के समक्ष एक आवेदन अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर खसरा संख्या 181 गैर मुमकिन मगरा में संवत 2079 मे रकबा 0.48 हैक्टेयर पर कच्ची दीवार व पक्की ढाणी बनाकर अतिक्रमण कर लिया। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज कर अपीलांट को धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी तथा जबाव के लिए समय मांगा। जिसके बाद अपीलांट को बिना जबाव देही का अवसर दिये। साक्ष्य सबूत का मौका दिये बिना ही एकतरफा बिना बहस सुने आदेश जैर अपील पारित कर दिया तथा ग्राम रोल के खसरा संख्या 181 रकबा 0.48 हैक्टेयर गैर मुमकिन मगरा पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने लगान का पचास गुना जुर्माना 104 रुपये एवं बेदखली से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की हैं। यह प्रकट किया हैं कि आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य हैं। हस्तगत प्रकरण अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जिस प्रकार व जो निर्णय पारित किया गया था, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अवैध व अनुचित था। इस बात को नजरअंदाज कर जो आलौच्य आदेश पारित किया है,खारिज होने योग्य है। अपीलांट का विवादित भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा स्वयं पटवारी हल्का ने जो आवेदन पेश किया है उसमें अपीलांट की मौके पर ढाणी होना माना है और किसी भी प्रकार से नया अतिक्रमण होना नही माना जा सकता है, अपीलांट का गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर वर्षो से कब्जा उपयोग उपभोग है और भूमि नियमन योग्य भूमि है। जिससे भी बेदखली व शास्ति का आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का मामला नियमन योग्य है। यह है कि आदेश जैर अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी साक्ष्य सबूत के केवल मात्र पटवारी के आवेदन को सही मानकर एकतरफा आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांट का संवत 2079 में अतिक्रमण किये जाने बाबत कोई भी मौका रिपोर्ट या अन्य कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था व है जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है।

कलक्टर नागौर

अपीलांट के खिलाफ जो आदेश जैर अपील पारित किया है वस्तुतः उन तथ्यों के सम्बन्ध में आवेदक पटवारी हल्का के द्वारा बयान तक नही दिये गये है और अपीलांट को पटवारी से जिरह करने तक का अवसर नहीं दिया गया है जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है। उक्त प्रकरण जबाव के लिए नियत था तथा अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित था तथा मंहगाई राहत शिविर में पीठासीन अधिकारी व्यस्त होने से अन्तिम बार दिनांक 10.08.2023 नियत की गयी थी और उस समय तक अपीलांट का जबाव बंद किये जाने का आदेश भी पारित नहीं किया गया था तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई अवसर तक नहीं दिया गया है तथा उक्त पेशी की जानकारी भी केम्प होने के कारण अपीलांट को सूचित नही की गयी थी। दिनांक 10.08.2023 को अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बिना किसी सूचना के एकतरफा तरीके से जिस प्रकार से आदेश पारित किया है वो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से खारिज होने योग्य है। यह है कि, अपील समयावधि में पेश है। यह है कि, अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।अपील पूर्ण न्याय शूल्क पर पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जायल द्वारा बअनबान सरकार बनाम जगराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संया 63/23 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 जैर अपील खारिज फरमाया जानें का आदेश प्रदान करावें एव अपीलांट के नाम नियमन करवाने का आदेश फरमावें विकल्प में अपीलांट को साक्ष्य सबूत जबावदेही का अवसर प्रदान करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत प्रकार से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मयाद के बिन्दू पर यह निवेदन किया हैं कि उक्त प्रकरण में पत्रावली जबाव के लिए नियत थी जिसके बाद पीठासीन अधिकारी मंहगाई राहत केम्प में होने से प्रकरण की सुनवाई की तारीख की सूचना अपीलांट व उसके अधिवक्ता को नहीं दी तथा दिनांक 10.08.2023 को अपीलांट व उसके अधिवक्ता को बिना सूचना दिये एकतरफा ही आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी नहीं हो सकी।अपीलांट के अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण की जानकारी के लिए दिनांक 14.09.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी ली तो आलौच्य आदेश की जानकारी अपीलांट को हुई,उसके बाद अपीलांट बीमार हो गया। जानकारी होने के बाद नकले लेकर तुरन्त अपील पेशी की गई फिर भी अपीलांट के द्वारा अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर न्याय हित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान वकील राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र परिसीमा अधिनियम के साथ पेश किये गये शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुवे प्रार्थना–पत्र स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

मूल अपील पर विद्वान वकील अपीलांट का कथन हैं कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अतिक्रमी मानते हुवे तहसीलदार,जायल द्वारा आदेश पारित कर दिया हैं,जो एक पक्षीय विधि विरूद्व हैं। इस आराजी पर अपीलांट का पुराना कब्जा होने से यह प्रकरण नियमन योग्य हैं। इसलिए नियमन की कार्यवाही हेतु प्रकरण सलाहकार समिति को भेजा जाना था परन्तु तहसीलदार,जायल ने अतिक्रमी मानते हुवे जेर अपील आदेश जो पारित किया गया हैं,को निरस्त करते हुवे प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान राजपेरोकार का दोराने बहस कथन हैं कि आराजी मुतनाजा गै0मु0 मगरा राजकीय भूमि हैं,इसलिए इस प्रकार की भूमि पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए तहसीलदार,जायल द्वारा की गई कार्यवाही विधि अनुरूप होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का,रोल की रिपोर्ट एवं भू0अभिलेख निरीक्षक रोल की रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न हैं के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम रोल की आराजी खसरा नम्बर 181 गै0मु0 मगरा की भूमि पर नाजायज कब्जा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

कर कच्ची दिवार,पक्की ढाणी बनायी हैं। इस प्रकार उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा बिना किसी अधिकार के सरकारी भूमि गै0मु0 मगरा भूमि पर कब्जा किया हैं,जो विधि विरूद्व हैं। अपीलांट द्वारा अपील में भूमि नियमन हेतु निवेदन किया हैं। रेकार्ड के अवलोकन से उक्त भूमि काबिल कास्त भूमि नहीं होकर गै0मु0 मगरा की भूमि हैं। इसलिए इस प्रकार की भूमि का नियमन भी नहीं किया जा सकता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,जायल द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 यथावता रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड पुनः लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 13.02.2024 को सुनाया गया ।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर